न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 55/2014 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. हीरादेवी पत्नी स्व0 मोतीलाल
2. लेखराज } पुत्रान स्व0 मोतीलाल
3. मनोज }
4. किशनसिंह पुत्र जुगलसिंह

} जाति काछी नि0 उच्चैन तहसील रूपवास जिला जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. मदनी
2. विष्णु } पुत्रान गिर्राज
3. सुभाष }
4. गुड्डी पुत्री गिर्राज
5. महाराजसिंह
6. बृजी } पुत्रान बुद्धी
7. छोटे
8. गिरधर
9. भगवत
10. हरीचरन } पुत्रान मूली
11. समयसिंह उर्फ रूपवास }
12. लालसिंह
13. लालजीत } पुत्रान स्व0 बाबूसिंह
14. श्रीराम (मृतक) }
    - 14/1 बन्टी
    - 14/2 विश्वेन्द्र
    - 14/3 पिन्टू
    - 14/4 कमलेश पुत्री श्रीराम
    - 14/5 पूनम पुत्री श्रीराम पत्नी श्यामसुन्दर पुत्र मुरारी जाति काछी निवासी माली मौहल्ला डीग जिला भरतपुर।
    - 14/6 प्रेम पत्नी स्व0 श्रीराम जाति काछी नि0 उच्चैन तह0 रूपवास।
15. पंजाब नेशनल बैंक शाखा उच्चैन तहसील रूपवास द्वारा शाखा प्रबन्धक।

} जातियान काछी निवासी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार उच्चैन दिनांक 4.12.2012 नामान्तरकरण संख्या 1162 ग्राम जुगलापट्टी उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति— श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।

दिनांक : 29.11.2017

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायब तहसीलदार उच्चैन की आज्ञा दिनांक 4.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1162 पार्ट II दिनांक 4.12.2012 ग्राम जुगलापट्टी, उच्चैन में रैस्पोडेन्ट समयसिंह, हरीचरन, बुद्धिसिंह पिसरान मूली का 3/4 हिस्सा का रहन पी0एन0बी0 बैंक उच्चैन के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विधिवत न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति की गई। नियत दिनांक को बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित रैस्पोडेन्टस बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि विवादित आराजी किता—10 रकबा 24 बीघा 19 विसबा वाकै ग्राम जुगला पट्टी उच्चैन तहसील रूपवास में अपीलार्थी 1/5 हिस्से के खातेदार सहकृषक काबिज है। शेष 4/5 हिस्से के उत्तरवादी संख्या 1 से 14 खातेदार कृषक है। उक्त आराजी के संबध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा शीर्षक हीरादेवी आदि बनाम बुद्धिसिंह आदि अंतर्गत धारा 88,89, व 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत न्यायालय ए0सी0एम0 उच्चैन के समक्ष विचाराधीन है जिसमें टी0आई0 आदेश भी जारी है। इस प्रकार नियमित दावे के विचाराधीन काल में पाबन्दी कायम रहते हुये तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अलावा उपखण्डाधिकारी रूपवास के द्वारा प्रारम्भ में उपरोक्त प्रकरण शीर्षक हीरादेवी बनाम बुद्धिसिंह में धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी के संबध में दिनांक 21.7. 2003 को उत्तरवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इस आशय का जारी किया है कि अप्रार्थीगण के 1/5 हिस्से पर कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग व हकूक खातेदारी काश्तकारी में किसी प्रकार से कोई मदाखल व मजाहमत नहीं करें व दीगर शख्स को रहन वय मुन्तिकिल नहीं करें न मृतक बाबूसिंह का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक करावें व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। यह आदेश आज दिनांक तक कायम है इसके बाबजूद भी इस अस्थाई निषेधाज्ञा की अवहेलना में विवादित आराजी को उत्तरवादी संख्या 15 पीएनबी बैंक उच्चैन के यहां रहन रखे जाने का अंकन कर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

विरूद्ध स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर उत्तरवादी का कब्जा काश्त भी नहीं है बिना मौका देखे बिना कब्जे काश्त की जांच किये अपीलाधीन आदेश से संबधित समस्त कार्यवाही उप तहसील में बैठ कर मनमाने ढंग से की गई है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है इसलिऐ अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के बैक पर पारित किया गया है इसलिऐ इस आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं हुई। इसकी जानकारी दिनांक 4.12.2012 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने व दिनां 13.2.2014 को ही उससे नकल जमाबन्दी लेने पर आदेश तहत की जानकारी हुई है। बाद कार्यवाही दिनांक 2.4.2014 को नकल प्राप्त हुई। अतः अपील प्रस्तुततीकरण में हुई देरी को क्षमा करते हुये जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1162 पार्ट ाा दिनांक 4.12.2012 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं तहत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1162 पार्ट ाा दिनांक 4.12.2012 के कॉलम संख्या 7 में समयसिंह, हरिचरन, बुद्धिसिंह पिसरान मूली वहिस्सा 3/4 खातेदार दर्ज है। कॉलम संख्या 14 व 16 में हो रहे अंकन से जाहिर है कि यह नामान्तरकरण समयसिंह, हरिचरन, बुद्धिसिंह पिसरान मूली द्वारा अपने हिस्से 3/4 को पंजाब नेशनल बैंक उच्चैन में रखी गई रहन से पी0एन0बी0 बैंक उच्चैन के नाम रहन दर्ज कर स्वीकार किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि रैस्पो0 समयसिंह, हरिचरन, बुद्धिसिंह पिसरान मूली द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने हिस्से की आराजी 3/4 को बैंक में रहन रखा गया है। उक्त रजिस्टर्ड रहननामा के आधार पर तहत अदालत ने बैंक के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। जहां तक प्रश्न विवादित आराजी के संबध में चल रहे नियमित दावा का है इस संबध में जब भी विचाराधीन दावा में सक्षम न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया जावेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो जायेगें। निषेधाज्ञा होते हुये भी उसकी पालना नहीं करने पर प्रार्थी संबधित न्यायालय में अवमानना संबधित कार्यवाही कर सकता है किन्तु यह अपील का आधार नहीं हो सकता। वर्तमान में तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.12.2012 में हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटि प्रमाणित होना नहीं पाते है। इसके अलावा नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिंडिग है जिसमें पक्षकारान के हक–हकूक तय नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.12.2012 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा स्वीकृत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1162 पार्ट II दिनांक 4.12.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर